[2020] 11 एस.सी.आर 46

मध्य प्रदेश राज्य अन्य

बनाम

अमित श्रीनिवास

(सिविल अपील संख्या 8564/2015)

29 सितंबर, 2020

[संजय किशन कौल, अनिरुद्ध बोस और कृष्णा मुरारी, न्यायमूर्तिगण]

सेवा कानूनः

नियुक्ति - अनुकंपा नियुक्ति-के लिए दावा-इस आधार पर खारिज किया गया कि मौजूदा नीति के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं था, जहां सरकारी कर्मचारी को कार्य-प्रभार/आकस्मिक निधि से वेतन मिल रहा था - हालांकि, नीति के अनुसार, मृतक कर्मचारी की पत्नी को एक लाख रुपये का अनुकंपा अनुदान स्वीकृत किया गया था - रिट याचिका - उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए अनुमति दे दी कि एक बार जब कर्मचारी पेंशन नियमों के तहत स्थायी हो जाता है, तो नीति लागू नहीं होती है और विभाग को अनुकंपा नियुक्ति के दावेदार के मामले पर विचार करने का निर्देश दिया - खण्ड पीठ के समक्ष रिट अपील याचिका को लेते हुए कि मृतक सरकारी कर्मचारी चूंकि एक नियमित कर्मचारी नहीं था, सिविल सेवा आचरण नियमों की धारा 2 (ख) के अर्थ के भीतर, दावेदार अनुकंपा नियुक्ति का हकदार नहीं था - उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा खारिज - सुप्रीम कोर्ट में अपील – अभिनिर्धारित : एक कर्मचारी स्थायी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त करने पर नियमित कर्मचारी का दर्जा प्राप्त नहीं करता है-दावेदार अनुकंपा नियुक्ति का हकदार नहीं है - इसके बाद एक परिपत्र द्वारा अनुकंपा अनुदान राशि को बढ़ाकर दो लाख रुपये कर दिया गया है - संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए अनुकंपा अनुदान राशि को एक लाख रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये कर दिया गया है - मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 – नियम 2 (ख) - भारत का संविधान - अनुच्छेद 142.

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय

अभिनिर्धारित : 1. अनुकंपापूर्ण नियुक्ति का कोई अंतर्निहित अधिकार नहीं हो सकता है, बल्कि यह कुछ मानदंडों के आधार पर एक अधिकार है, विशेष रूप से एक जरूरतमंद परिवार को सहायता प्रदान करने के लिए। यह निधन की तिथि पर लागू लागू नीति के अनुसार होना चाहिए, जब तक कि कोई अगली नीति पूर्वव्यापी रूप से लागू न की जाए। उत्तरदाता के दिवंगत पिता के निधन के बाद से, 11 साल बीत चुके हैं और वास्तव में, परिवार को तुरंत सहायता प्रदान करने का पहलू नहीं बचता है। [अनुच्छेद 14 और 15]

गुजरात राज्य और अन्य बनाम अरविंदकुमार टी. तिवारी और अन्य **(2012) 9 एससीसी 545: [2012] 7 एससीआर 1072**; इंडियन बैंक और अन्य बनाम

प्रोमिला और एक अन्य **(2020) 2 एससीसी 729**: **[2020] 1 एससीआर 408** - पर भरोसा किया।

2.1 कार्य-प्रभारित कर्मचारी, स्थायी कर्मचारी और नियमित कर्मचारी के बीच अंतर है। प्रतिवादी के दिवंगत पिता निस्संदेह एक कार्य-प्रभारित कर्मचारी थे और यह कोई मामला नहीं है कि उन्होंने कार्य-प्रभारित/आकस्मिक निधि से भुगतान नहीं किया गया है। उन्होंने 15 साल की सेवा पूरी करने के कारण एक स्थायी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त किया, जो उन्हें पेंशन और क्राम्मोनटी सहित कुछ लाभों का हकदार था। हालाँकि, यह वास्तव में उसे एक नियमित कर्मचारी का दर्जा नहीं देगा। [अनुच्छेद 16]

2.2. मध्य प्रदेश औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) नियम, 1963 के तहत, कर्मचारियों को स्थायी, स्थायी मौसमी, परिवीक्षाधीन, बदल, प्रशिक्षु, अस्थायी और निश्चित अवधि के रोजगार कर्मचारियों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक कार्य-प्रभारित आकस्मिक कर्मचारी को उपरोक्त श्रेणियों में से किसी के तहत भी वर्गीकृत किया जा सकता है और उक्त स्थायी आदेशों के तहत, एक स्पष्ट रिक्ति में 6 महीने की सेवा के पूरा होने पर भी स्थायी के रूप में वर्गीकरण प्रदान किया जा सकता है। एक 'स्थायी' वर्गीकरण नियमित करने के बराबर नहीं है। [अनुच्छेद 17 और 18]

राम नरेश रावत बनाम अश्विनी रे और अन्य **(2017) 3 एससीसी 436: [2016] 9 एससीआर 141-पर भरोसा किया।**

2.3 सेवा में स्थायी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त करने पर कोई कर्मचारी नियमित कर्मचारी का दर्जा प्राप्त नहीं करता है। इस प्रकार, प्रत्यर्थी के दिवंगत पिता का एक स्थायी कर्मचारी के रूप में वर्गीकरण, और 'स्थायी' स्थिति और 'नियमित' स्थिति के बीच अंतर को आक्षेपित निर्णयों में नजरअंदाज कर दिया गया है। [अनुच्छेद 20 और 21]

3.1 दिवंगत कर्मचारी के परिवार को पहले ही लागू नीति के अनुसार पात्रता का भुगतान किया जा चुका है। प्रत्यर्थी किसी भी राहत का हकदार नहीं है। तथापि, दिनांक 29.9.2014 के परिपत्र द्वारा 18.8.2008 की नीति में संशोधन से संबंधित अभिलेख पर रखे गए कुछ अतिरिक्त दस्तावेजों से बाद में विकास हुआ है। इस परिपत्र के संदर्भ में, अनुकंपा अनुदान राशि को रु 1,00,000/- से बढ़ा कर रु 2,00,000/- कर दिया गया था। [अनुच्छेद 24 और 25]

3.2 एक अन्य परिपत्र 31.8.2016 को जारी किया गया था, जिसके माध्यम से यह निर्णय लिया गया था कि कार्य-प्रभारित/आकस्मिक निधि से वेतन प्राप्त करने वाले मृत कर्मचारियों के आश्रित अनुकंपा नियुक्ति के हकदार होंगे, लेकिन यह परिपत्र दिनांक 21.03.2017 द्वारा स्पष्ट किया गया था कि 31.8.2016 की तारीख से पहले लंबित मामलों का निर्णय केवल संशोधित नीति दिनांक 29.9.2014 के संदर्भ में किया जाएगा। ऐसी स्थिति में, यह अंतिम परिपत्र भी उत्तरदाताओं की सहायता के लिए नहीं आता है क्योंकि यह नीति को पूर्वव्यापी रूप से लागू करने जैसा होगा, जबकि परिपत्र इसके विपरीत कहता है। [अनुच्छेद 25]

3.3 दिनांक 21.3.2017 के परिपत्र में कहा गया है कि लंबित मामलों का निर्णय 29.9.2014 को अनुकंपा नियुक्ति के लिए जारी निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। वर्तमान मामला वास्तव में प्राधिकरण के समक्ष लंबित मामला नहीं है, बल्कि इस न्यायालय के समक्ष लंबित है। इस प्रकार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पक्षों के बीच पूर्ण न्याय करने के लिए, रुपये की राशि 1,00,000/- से बढ़ाकर रु. 2,00,000/- कर दी गई [अनुच्छेद 27 और 28]

पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड और अन्य बनाम निरवल सिंह **(2019) 6 एससीसी 774: [2019] 7 एससीआर 905**-पर भरोसा किया।

निर्णय विधि संदर्भ

[2012] 7 एस.सी.आर. 1072	**पर भरोसा किया।**	**अनुच्छेद 14**
[2016] 9 एस.सी.आर. 141	**पर भरोसा किया।**	**अनुच्छेद 18**
[2020] 1 एस.सी.आर. 408	**पर भरोसा किया।**	**अनुच्छेद 23**
[2019] 7 एस.सी.आर. 905	**पर निर्भर करता है।**	**अनुच्छेद 28**

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील संख्या 8564/2015।

रिट अपील संख्या 583/2013 में ग्वालियर स्थित मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के दिनांक 02.01.2014 के निर्णय और आदेश से।

सुश्री वंशजा शुक्ला, अर्जुन गर्ग, सुश्री श्रुतिका गर्ग, रोनक करणपुरिया, उपस्थित दलों के लिए अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति ।

1. प्रत्यर्थी अपने पिता स्वर्गीय श्री रंगलाल श्रीवास के निधन के कारण अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्रता का दावा करता है, जो 6.6.1984 से आदिवासी कल्याण विभाग, भिंड, मध्य प्रदेश में चालक के रूप में काम कर रहे थे, जब तक कि उनका निधन 11.12.2009, यानी लगभग 23 वर्षों की अवधि में हुआ।

2. प्रत्यर्थी का दावा उसके दिवंगत पिता के रोजगार की प्रकृति पर आधारित था, जिन्हें शुरू में एक कार्य-प्रभारित कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया गया था। 12.03.1987 को उन्हें स्थायी बनाया गया और उन्हें नियमित वेतनमान पर वेतन दिया गया। समय-समय पर उन्हें वेतन में संशोधन और पदोन्नति के लाभ भी दिए जाते थे। स्वर्गीय श्री रंगलाल श्रीवास के निधन पर, उन्होंने अपने पीछे एक बीमार पत्नी, एक बेटा (यहाँ प्रत्यर्थी)

और तीन बेटियों को छोड़ दिया और कहा जाता है कि वे अपने परिवार के लिए एकमात्र कमाने वाले थे। इस प्रकार, परिवार को अनुचित आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मध्य प्रदेश सिविल पेंशन नियम, 1976 के तहत एक पेंशन भुगतान आदेश ('पीपीओ') परिवार के पक्ष में जारी किया गया था क्योंकि उसने अपने अंतिम वेतनमान और ग्रेड वेतन के आधार पर 12.03.1987 से 11.12.2009 तक काम किया था। आर्थिक कठिनाई को देखते हुए, प्रत्यर्थी ने अनुकंपा नियुक्ति का लाभ लेने के लिए एक आवेदन दायर किया।

3. हालांकि, अनुकंपा नियुक्ति के अनुरोध को तीसरे अपीलार्थी द्वारा दिनांक 19.08.2010 के आदेश द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी अनुकंपा नियुक्ति दिनांक 18.08.2008 के लिए लागू नीति पर रिलायंस को रखा गया था। यह नीति उस समय से संबंधित है जब किसी सरकारी कर्मचारी की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाती है, और यदि ऐसा कर्मचारी अपनी मृत्यु के समय कार्य-प्रभारी/आकस्मिक निधि से वेतन अर्जित कर रहा है, तो ऐसी नियुक्ति के अनुदान के लिए कोई प्रावधान नहीं था। इस संबंध में, पॉलिसी के खंड 12.1 पर निर्भरता रखी गई थी, जिसमें ऐसे कर्मचारी के नामित आश्रित को Rs.1,00,000/- के अनुकंपा अनुदान का प्रावधान किया गया था, और इस मामले में, मृतक की पत्नी को भी मंजूरी दी गई थी। प्रासंगिक खंड को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत करना उचित होगाः

"12. कार्य प्रभार/आकस्मिकता और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए प्रावधान

12.1 जब कार्य प्रभार/आकस्मिक निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो वे अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे; हालाँकि अनुकंपा अनुदान के नाम पर एक किस्त में रु. 1 लाख उनके द्वारा नामित परिवार के आश्रित सदस्य को दिए जाएंगे। ग्रैच्युटी की राशि इसमें शामिल नहीं की जाएगी। इस राशि का भुगतान संबंधित विभाग के कार्य प्रभार/आकस्मिकता शीर्षक के तहत वेतन शीर्ष से किया जाएगा।

4. प्रत्यर्थी ने, उपरोक्त आदेश दिनांक 19.08.2010 से व्यथित होकर, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, ग्वालियर खंडपीठ के समक्ष रिट अपील संख्या 3542/2012 दायर किया। मध्य प्रदेश (कार्य प्रभारित और आकस्मिक वेतनभोगी कर्मचारी) पेंशन नियम, 1979 (इसके बाद 'पेंशन नियम' के रूप में संदर्भित), विशेष रूप से नियम 2 (ग) पर भरोसा किया गया था। यह नियम निर्धारित करता है कि कोई भी आकस्मिक वेतन पाने वाला कर्मचारी या कार्य-प्रभारित कर्मचारी जो स्थायी कर्मचारी के रूप में 1.01.1974 को या उसके बाद 15 वर्ष या उससे अधिक की सेवा पूरी कर ली हो। नियम 2(ख) में कार्य-प्रभारित कर्मचारी और स्थायी कर्मचारी संपत्ति की परिभाषा को पुन: प्रस्तुत करना प्रासंगिक होगा।

"2. परिभाषाएँ. - इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा आवश्यक न हो, -

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

(ख) "*कार्य-प्रभारित कर्मचारी*" का अर्थ वास्तविक निष्पादन पर नियोजित व्यक्ति है, कार्य पर नियोजित दैनिक वेतनभोगी श्रमिक और मस्टर-रोल कर्मचारी को छोड़कर; जो निर्दिष्ट कार्य के

सामान्य पर्यवेक्षण से अलग है या ऐसे काम के संबंध में विभागीय श्रम, स्टोर, विद्युत उपकरण और मशीनरी की मरम्मत और मरम्मत के अधीनस्थ पर्यवेक्षण पर है।

(ग) "स्थायी कर्मचारी" का अर्थ है एक आकस्मिक भुगतान वाला कर्मचारी या एक कार्य-प्रभारित कर्मचारी जिसने 1 जनवरी, 1974 को या उसके बाद पंद्रह वर्ष या उससे अधिक की सेवा पूरी कर ली है।

5. यह विवाद में नहीं है कि प्रत्यर्थी के पिता ने अपनी मृत्यु के समय 15 वर्ष से अधिक की सेवा पूरी की थी और इस प्रकार, एक स्थायी कर्मचारी थे। इस प्रकार, प्रत्यर्थी ने 18.8.2008 की नीति के अनुसार चतुर्थ श्रेणी के पद के लिए पात्र होने के कारण अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता का दावा किया और दिनांक 19.08.2010 के विवादित निर्णय को रद्द करने का अनुरोध किया।

6. रिट याचिका का अपीलार्थियों द्वारा इस आधार पर विरोध किया गया था कि प्रत्यर्थी के पिता को चालक के रूप में काम की आवश्यकता के अनुसार आकस्मिकता के आधार पर नियुक्त किया गया था। इस तरह की नियुक्ति इस शर्त के साथ की गई थी कि उनकी सेवा को एक महीने के नोटिस के साथ समाप्त किया जा सकता है और उनका वेतन आकस्मिक निधि से जारी किया जाएगा। इस संबंध में उनकी नियुक्ति आदेश दिनांक 5.6.1987 पर निर्भरता रखी गई थी, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से दोनों पक्षों में से किसी ने भी कोई नियुक्ति पत्र/आदेश अभिलेख पर नहीं रखा। मृतक की पत्नी को पहले ही एक लाख रुपये मिल चुके हैं। नीति के संदर्भ में राहत के रूप में 1,00,000/- पर जोर दिया गया।

7. रिट याचिका को उच्च न्यायालय के विद्वत एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 19.7.2013 के आदेश द्वारा अनुमति दी गई थी, जो एक कर्मचारी के मुद्दे से संबंधित एक पूर्व निर्णय पर भरोसा करता था, जो 15 वर्षों से अधिक समय से सेवा कर रहा था और इस प्रकार, एक स्थायी कर्मचारी की स्थिति के लिए योग्य पाया गया था। यह आदेश एक रिट अपील में कायम रखा गया था और इसके खिलाफ एक विशेष अनुमति याचिका को भी खारिज कर दिया गया था।[1] यहां ऊपर दिए गए नीति के खंड 12.1 की प्रयोज्यता के मुद्दे पर, यह राय दी गई कि यह ऐसे कर्मचारियों पर लागू होगा, जिन्होंने स्थायीता प्राप्त नहीं की है, यानी, एक बार जब कोई कर्मचारी पेंशन नियमों के तहत स्थायी हो जाता है, तो अनुकंपा नियुक्ति के लिए खंड 12.1 को अनुपयुक्त माना जाता था।

8. तथ्य यह है कि अपीलकर्ताओं ने प्रत्यर्थी के दिवंगत पिता को क्रम्मोनति भी प्रदान की थी, इसे भी सहायक तर्क के रूप में लिया गया था। अपीलकर्ताओं को अनुकंपा नियुक्ति के लिए प्रत्यर्थी के मामले पर विचार करने का निर्देश दिया गया था। इससे व्यथित होकर, अपीलकर्ताओं ने अन्य बातों के अलावा, रिट अपील संख्या 583/2013 को इस आधार पर प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी अनुकंपा नियुक्ति का हकदार नहीं था और वह मध्य प्रदेश सिविल सेवा के नियम 2 (ख) के तहत एक नियमित सरकारी कर्मचारी नहीं था। आचरण नियम, 1965, जो इस प्रकार है:

> “2. परिभाषाएँ - इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-
> Xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

(ख) "*सरकारी सेवक*" का अर्थ है मध्य प्रदेश राज्य के मामलों के संबंध में किसी भी सिविल सेवा या पद पर नियुक्त कोई भी व्यक्ति।

स्पष्टीकरण - एक सरकारी कर्मचारी जिसकी सेवाएं सरकार द्वारा किसी कंपनी, निगम, संगठन या स्थानीय प्राधिकरण के निपटान में दी जाती हैं, इन नियमों के प्रयोजन के लिए, सरकार के अधीन सेवारत एक सरकारी कर्मचारी माना जाएगा, भले ही उसका वेतन राज्य की संचित निधि के अलावा अन्य स्रोतों से लिया गया हो।

9. अपीलार्थियों का जोर इस सिद्धांत पर भी था कि एक अनुकंपा नियुक्ति एक अंतर्निहित अधिकार नहीं है, बल्कि राज्य का एक विशेषाधिकार है, जिसे केवल संबंधित समय पर तैयार और लागू की गई संबंधित नीति के अनुसार ही दिया जा सकता है। चूंकि नीति के खंड 12.1 में कार्य-प्रभारी/आकस्मिक निधि और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान नहीं था, इसलिए उसमें स्वीकार्य मौद्रिक लाभ पहले ही प्रदान किया जा चुका था। एक नियमित और एक स्थायी कर्मचारी के बीच के अंतर पर जोर दिया गया था और इसके अतिरिक्त, यह अनुरोध किया गया था कि रु 1,00,000/- का भुगतान वापस करने के लिए निर्देशित नहीं किया गया था।

10. रिट अपील को उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा दिनांक 2.01.2014 के विवादित आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था, जो मुख्य रूप से इस तर्क पर आधारित था कि प्रत्यर्थी के दिवंगत पिता पेंशन नियमों के अनुसार एक स्थायी कर्मचारी थे। जहां तक 1,00,000/- रुपये की राशि के अनुदान का सवाल है, इसे प्रत्यर्थी को अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त होने की स्थिति में अपीलकर्ताओं को वापस करने का निर्देश दिया गया था।

11. ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता एक विशेष अनुमति याचिका दाखिल करने की प्रक्रिया में थे और इस प्रकार, 12.2.2014 को, अपीलकर्ता संख्या 3 ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए प्रत्यर्थी के दावे को स्वीकार कर लिया, लेकिन शर्तों के अधीन कि रुपये 1,00,000/- की राशि लौटाए जाने चाहिए, ऐसी नियुक्ति रिक्ति/पद की उपलब्धता पर निर्भर होगी, प्रस्तावित पोस्टिंग अनिवार्य रूप से स्वीकार की जाएगी, और अंत में, यदि कोई विशेष अनुमति याचिका/अपील दायर की जाती है, तो उसका परिणाम बाध्यकारी होगा। विशेष अनुमति याचिका 12.07.2014 को दायर की गई थी और देरी की माफी के बाद, नोटिस जारी किया गया था और दिनांक 06.02.2015 के आदेश के जरिए विवादित फैसले के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी गई थी। 12.10.2015 को अनुमति प्रदान कर दी गई और अंतरिम आदेश को पूर्ण कर दिया गया। इस प्रकार, आज तक प्रत्यर्थी को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ नहीं मिला है।

12. हमने पक्षों के विद्वान सलाहकारों को सुना है।

13. हमारी राय में, एकमात्र मुद्दा जिसकी जांच की जानी है, वह यह है कि क्या प्रत्यर्थी के दिवंगत पिता, जो जनजातीय कल्याण विभाग में कार्य-प्रभारित/आकस्मिक कर्मचारी के रूप में कार्यरत थे, वर्तमान नीति के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति के हकदार थे।

14. यह कहना तुच्छ है कि अनुकंपापूर्ण नियुक्ति का कोई अंतर्निहित अधिकार नहीं हो सकता है, बल्कि यह कुछ मानदंडों पर आधारित अधिकार है, विशेष रूप से एक जरूरतमंद परिवार को सहायता प्रदान करने के लिए। यह लागू पॉलिसी के संदर्भ में होना चाहिए जैसा कि मृत्यु की तारीख पर मौजूद है, जब तक कि बाद की पॉलिसी को पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जाता है।[2]

15. जहां तक सहायता प्रदान करने का संबंध है, दुर्भाग्य से, प्रत्यर्थी के दिवंगत पिता के निधन के बाद से, 11 साल बीत चुके हैं और वास्तव में, परिवार को तुरंत सहायता प्रदान करने का पहलू नहीं बचता है। हमने अभी भी लागू नीति के परिप्रेक्ष्य में मामले की जांच की है। यह प्रश्नगत नहीं है कि प्रचलित नीति दिनांक 18.8.2008 की थी। खंड 12.1 स्पष्ट रूप से कार्य प्रभार/आकस्मिक निधि और दैनिक वेतन कर्मचारियों को अनुकंपा नियुक्ति से प्रतिबंधित करता है। प्रत्यर्थी के प्रस्तुत करने की गंभीरता उसके दिवंगत पिता के 15 वर्षों से अधिक समय तक काम करने के कारण एक स्थायी कर्मचारी के रूप में वर्गीकरण और उसके परिणामस्वरूप उसकी सेवा के नियमितीकरण पर आधारित है।

16. हमारे विचार में, उपरोक्त याचिका एक कार्य-प्रभारित कर्मचारी, एक स्थायी कर्मचारी और एक नियमित कर्मचारी के बीच अंतर के बिंदु को छोड़ देती है। प्रत्यर्थी के दिवंगत पिता निस्संदेह एक कार्य-प्रभारित कर्मचारी थे और यह किसी का मामला नहीं है कि उन्हें कार्य-प्रभारित/आकस्मिक निधि से भुगतान नहीं किया गया है। उन्होंने 15 साल की सेवा पूरी करने के कारण एक स्थायी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त किया, जो उन्हें पेंशन और क्राम्मोनटी सहित कुछ लाभों का हकदार था। हालाँकि, यह वास्तव में उसे एक नियमित कर्मचारी का दर्जा नहीं देगा।

17. उपर्युक्त की ओर से, मध्य प्रदेश औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) नियम, 1963 के साथ एक समानता खींची जा सकती है, जिसके तहत कर्मचारियों को स्थायी, स्थायी मौसमी, परिवीक्षाधीन, बदली, प्रशिक्षु, अस्थायी और निश्चित अवधि के रोजगार कर्मचारियों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक कार्य-प्रभारित आकस्मिक कर्मचारी को उपरोक्त श्रेणियों में से किसी के तहत भी वर्गीकृत किया जा सकता है और उक्त स्थायी आदेशों के तहत, एक स्पष्ट रिक्ति में 6 महीने की सेवा के पूरा होने पर भी स्थायी के रूप में वर्गीकरण प्रदान किया जा सकता है।

18. हमें उपरोक्त मुद्दे पर ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है और वास्तव में यह मुद्दा **राम नरेश रावत बनाम अश्विनी राय और अन्य**[3] में इस न्यायालय के फैसले को देखते हुए अब एकीकृत नहीं है, जिसमें कहा गया है कि 'स्थायी' वर्गीकरण नियमित करने के बराबर नहीं है। मामला उपरोक्त स्थायी आदेशों से संबंधित है और इसका अनुच्छेद 24, 26 और 27 में निम्नानुसार अवलोकन किया गया हैः

> “24. इस प्रकार, यह कुछ हद तक हैरान करने वाला है कि क्या "स्थायी कर्मचारी" का पदनाम भूलकर भी कर्मचारी को "नियमित" कर्मचारी माना जा सकता है। यह उत्तर स्थायी आदेश अधिनियम और नियमों को पढ़ने से नहीं मिलता है। आम बोलचाल की भाषा में, आमतौर पर, एक व्यक्ति जिसे "स्थायी कर्मचारी" के रूप में जाना जाता है, उसे एक नियमित कर्मचारी के रूप में माना जाएगा, लेकिन मौजूदा

मामले में यह बिल्कुल वैसी स्थिति नहीं दिखती है, जब हम पाते हैं कि केवल छह महीने की सेवा पूरी करने के बाद ही एक कर्मचारी सही हो जाता है। "स्थायी कर्मचारी" के रूप में माना जायेगा। इसके अलावा, जैसा कि अब देखा जाएगा, इस न्यायालय ने "स्थायी कर्मचारी" और "नियमित कर्मचारी" के बीच अंतर किया है।

Xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

26. पूर्वोक्त से, यह निष्कर्ष निकलता है कि यद्यपि एक "स्थायी कर्मचारी" को श्रेणीबद्ध वेतनमान में वेतन प्राप्त करने का अधिकार है, साथ ही, उसे बिना किसी वेतन वृद्धि के केवल उक्त वेतनमान का न्यूनतम वेतन ही मिलेगा। यह केवल सेवा में नियमितीकरण है जिसके तहत वेतनमान में वेतन वृद्धि आदि दी जाएगी।

27. उपरोक्त के मद्देनजर, हमें इन अवमानना याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए तर्कों में कोई तथ्य नहीं मिला। हम इस तथ्य से अवगत हैं कि कुछ मामलों में, पहले के अवसरों पर, राज्य सरकार ने वेतनमान तय करते समय वेतनवृद्धि भी दी थी। हालाँकि, यदि कुछ व्यक्तियों को गलत तरीके से लाभ दिया जाता है, तो यह उसी राहत का दावा करने का आधार नहीं बन सकता है। यह सामान्य बात है कि अनुच्छेद 14 के तहत समानता का अधिकार नकारात्मक रूप से नहीं है (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और अन्य देखें बनाम टी.के.सूर्यनारायण और अन्य [(1997) 6 एससीसी 766]"

19. उपर्युक्त से यह निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि स्थायी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त करने से किसी भी वेतन वृद्धि के बिना केवल न्यूनतम वेतनमान का अधिकार होगा। यह वह पहलू है जिस पर प्रत्यर्थी के विद्वान वकील द्वारा यह तर्क देने के लिए जोर देने की मांग की गई थी कि यह लागू नहीं होगा, क्योंकि वर्तमान मामले में, क्राम्मोनाटी और वेतनवृद्धि दी गई थी। तथापि, हम यह नोट कर सकते हैं कि प्रत्यर्थी के पिता सहित कर्मचारियों को मौद्रिक क्राम्मोनटी का लाभ प्रदान करने वाले दिनांक 7.02.2002 के आदेश में यह विनिर्दिष्ट किया गया था कि यह ऐसे कर्मचारियों के पदों को प्रभावित नहीं करेगा।

20. इस प्रकार, महत्वपूर्ण बात यह है कि वेतनवृद्धि दिए जाने के बाद, क्या किसी व्यक्ति को नियमित कर्मचारी की स्थिति तक पहुँचने वाला कहा जा सकता है?

इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए, हम इस बात पर ध्यान दे सकते हैं कि उपरोक्त निर्णय में इस पहलू पर विचार करते समय, यह विशेष रूप से राय दी गई थी कि "*यदि कुछ व्यक्तियों को गलत तरीके से लाभ दिया जाता है, तो भी यह उसी राहत का दावा करने का आधार नहीं बन सकता है। यह सामान्य बात है कि अनुच्छेद 14 के तहत समानता का अधिकार नकारात्मक रूप से नहीं है।''* हम ऐसा कहते हैं, अपीलार्थियों को पहले से दिए गए किसी भी लाभ को वापस लेने के लिए लाइसेंस देने के उद्देश्य से नहीं, और हम इसे स्पष्ट रूप से स्पष्ट करते हैं। हालाँकि, हम एक ही समय में यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं कि सेवा में स्थायी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त करने पर अर्जित स्थिति एक नियमित कर्मचारी की है।

21. इस प्रकार, प्रत्यर्थी के दिवंगत पिता का एक स्थायी कर्मचारी के रूप में वर्गीकरण, और एक 'स्थायी' स्थिति और एक 'नियमित' स्थिति के बीच यह अंतर विवादित निर्णयों में दृष्टिहीन प्रतीत होता है।

22. हम प्रत्यर्थी के लिए विद्वान वकील द्वारा कुछ अन्य मामलों पर रखी गई निर्भरता को भी देख सकते हैं जहां उच्च न्यायालय द्वारा समान प्रकृति के आदेश पारित किए गए थे और इनमें से किसी एक आदेश के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया गया था, लेकिन फिर हमने पहले ही देखा है कि यह किसी ऐसी चीज को बनाए रखने का अधिकार नहीं देगा जो कानून में अनुमति नहीं है।

23. हमें इंडियन बैंक एंड अदर्स में हाल के एक फैसले में अनुकंपा नियुक्ति के मुद्दे की जांच करने का अवसर मिला था बनाम प्रोमिला और एक अन्य[4] हम उपयोगी रूप से अनुच्छेद 3, 4 और 5 का उल्लेख निम्नानुसार कर सकते हैं:

> "3. लागू होने वाली योजना के बारे में कुछ भ्रम पैदा हो गया है और इस प्रकार, इस न्यायालय ने मृत्यु की तारीख को प्रचलित योजना को विचार के लिए इस न्यायालय के समक्ष रखने का निर्देश दिया, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने एक ऐसी योजना पर विचार किया था जो बाद की तारीख की थी। केनरा बैंक और अन्य में इस न्यायालय के फैसले द्वारा तय की जा रही कानूनी स्थिति के कारण भी इसकी आवश्यकता उत्पन्न हुई बनाम एम. महेश कुमार, (2015) 7 एससीसी 412, ऐसी योजना के आवेदन के लिए कट-ऑफ तिथि क्या होगी।
>
> 4. इस न्यायालय के कई न्यायिक निर्णयों के आधार पर इस बात पर जोर देना तुच्छ है कि अनुकंपा नियुक्ति नियुक्ति के सामान्य पाठ्यक्रम का विकल्प नहीं है और अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त करने का कोई अंतर्निहित अधिकार नहीं है। इसका उद्देश्य केवल कठिन समय में परिवार को सांत्वना और सहायता प्रदान करना है और इस प्रकार, प्रासंगिकता उस समय होती है जब कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है।
>
> 5. इस निर्णय द्वारा जांचा गया एक पहलू यह है कि क्या किसी विशेष वर्ष की योजना के तहत अनुकंपा रोजगार के दावे का निर्णय उस बाद की योजना के आधार पर किया जा सकता है जो दावे के बहुत बाद लागू हुई थी। इसका उत्तर सशक्त रूप से नकारात्मक है। यह भी देखा गया है कि पारिवारिक पेंशन की मंजूरी और सेवांत लाभ के भुगतान को रोजगार सहायता प्रदान करने के विकल्प के रूप में नहीं माना जा सकता है। महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इस योजना पर विचार किया जाए कि ऐसी अनुकंपा नियुक्ति के लिए योजना में क्या प्रावधान किए गए हैं।"

24. इस प्रकार, हम प्रत्यर्थी को कोई राहत देने में असमर्थ हैं, जितना हम परिस्थितियों में चाहते थे, लेकिन कानूनी स्थिति से विवश हैं। दिवंगत कर्मचारी के परिवार को लागू नीति के अनुसार पात्रता का भुगतान पहले ही किया जा चुका है।

25. तथापि, हम दिनांक 29.9.2014 के परिपत्र द्वारा 18.8.2008 की नीति में संशोधन से संबंधित अभिलेख पर रखे गए कुछ अतिरिक्त दस्तावेजों से उद्भूत होने वाले बाद के विकास को देख सकते हैं।

इस परिपत्र के संदर्भ में, अनुकंपा राशि रु 1,00,000/- से रु 2,00,000/ दी । एक अन्य परिपत्र 31.8.2016 को जारी किया गया था, जिसके माध्यम से यह निर्णय लिया गया था कि कार्य-प्रभारित/आकस्मिक निधि से वेतन प्राप्त करने वाले मृतक कर्मचारियों के आश्रित अनुकंपा नियुक्ति के हकदार होंगे, लेकिन यह परिपत्र दिनांक 21.3.2017 द्वारा स्पष्ट किया गया था कि 31.8.2016 की तारीख से पहले लंबित मामलों का निर्णय केवल संशोधित नीति दिनांक 29.9.2014 के संदर्भ में किया जाएगा। यह स्थिति होने के कारण, यह अंतिम परिपत्र भी प्रत्यर्थी की सहायता के लिए नहीं आता है क्योंकि यह नीति को पूर्वव्यापी रूप से लागू करने के बराबर होगा, जबकि परिपत्र कहता है कि इसके विपरीत बढ़ा दिया गया था।

26. तथापि, हमारा यह मत है कि हम दिनांक 21.3.2017 के परिपत्र को ध्यान में रखते हुए प्रत्यर्थी को कुछ सहायता प्रदान कर सकते हैं, जिसका सुसंगत भाग निम्नानुसार हैः

> "2. इस संबंध में, यह स्पष्ट किया जाता है कि कार्य प्रभार और आकस्मिक निधि के कर्मचारियों के लिए अनुकंपा नियुक्ति भी 31.08.2016 से लागू है और इस तारीख से पहले लंबित मामलों का निर्णय केवल 29.09.2014 को अनुकंपा नियुक्ति के लिए जारी निर्देशों के अनुसार किया जाएगा, अर्थात वे केवल अनुकंपा अनुदान के लिए पात्र होंगे, न कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए। तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

27. उपर्युक्त परिपत्र में कहा गया है कि लंबित मामलों का निर्णय 29.9.2014 को अनुकंपा नियुक्ति के लिए जारी निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। वर्तमान मामला वास्तव में प्राधिकरण के समक्ष लंबित मामला नहीं है, बल्कि इस न्यायालय के समक्ष लंबित है।

28. इस प्रकार, हमारा विचार है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करके पक्षों के बीच पूर्ण न्याय करने के लिए राशि को 1,00,000/- से बढ़ाकर 2,00,000/- किया जाना उचित होगा। हमने, वास्तव में, पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड और अन्य बनाम निर्वाण सिंह में इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाया।[5]

29. अभिलेख पर मौजूद दस्तावेजों से यह प्रतीत होता है कि संभवतः रु 1,00,000/- प्रत्यर्थी द्वारा भारतीय स्टेट बैंक के साथ 2016 में ब्याज वाली जमा राशि में जमा किया गया था, और राशि संभवतः उसी जमा राशि में होगी। यह विवादित आदेश के अनुसार होता। हम, इस प्रकार, निर्देश देते हैं कि यह एफडीआर प्रत्यर्थी को जारी किया जाए और यह राशि, ब्याज के साथ जो प्रत्यर्थी के लाभ के लिए उपार्जित होगी, रुपये 1,00,000/-, की अतिरिक्त राशि के अलावा। हमने उत्तरदाता को देय के रूप में पाया है जिसका भुगतान आज से दो (2) महीने की अवधि के भीतर किया जाना चाहिए, ऐसा न करने पर यह भुगतान की तारीख तक 12 प्रतिशत वार्षिक (साधारण ब्याज) की दर से ब्याज वहन करेगा।

30. तदनुसार अपील की अनुमति दी जाती है और पक्षकारों को अपना खर्च वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है।

कल्पना के. त्रिपाठी

अपील की अनुमति दी गई।

1. शहजाद खान बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य (डब्ल्यूपी संख्या 2731/2010, डब्ल्यूए संख्या 110/2013 और विशेष अनुमति याचिका (ग) संख्या5859/2014)

2. गुजरात राज्य और अन्य बनाम अरविंदकुमार टी. तिवारी और अन्य (2012) 9 एस.सी.सी 545

3. (2017) 3 एस.सी.सी 436

4. (2020) 2 एससी.सी 729

5. (2019) 6 एस.सी.सी 774

दिब्या कुमारी की देखरेख में, अधिवक्ता सरवजीत सिंह द्वारा अनुवादित।